न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 67 / 2020 (2020 / 176)

प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 09.07.2020

शीर्षक

श्रीमती नोसर देवी पत्नि भंवरलाल जाट निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थीया

बनाम

1. नाथु लाल आत्मज भैरूलाल अचारत
2. मेहन्द्र आत्मज भैरूलाल अचारत
3. विनोद आत्मज भैरूलाल अचारत
4. श्रीमती तुलसी पत्नि भैरूलाल अचारत
5. शांतिलाल आत्मज मोहन अचारत
6. जगदीश आत्मज मोहन अचारत
7. सोहनी पत्नि मोहन अचारत
8. नंगजीराम आत्मज कालु बलाई

सर्व निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री रितेश सुराणा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–23.07.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 494 रकबा 0.47 हे0, 495 रकबा 0.44 हे0, 509 रकबा 0.15 हे0, 510 रकबा 0.55 हे0, 514 / 6626 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.99 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 767 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियां प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 3 उपस्थित। जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 व 4 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 494 रकबा 0.47 हे0, 495 रकबा 0.44 हे0, 509 रकबा 0. 15 हे0, 510 रकबा 0.55 हे0, 514 / 6626 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.99 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 767 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700 / – (सात सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700 / – (सात सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर जिला भीलवाड़ा